न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 33 / 2019 / 251–ए आरटीए

1. सुगनसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

---प्रार्थी

बनाम

1. गणेशराम पुत्र श्री बिड़दाराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र बिड़दाराम
3. लिखमाराम पुत्र लिछमण राम

समस्त जाति जाट निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

4. आनन्द सिंह पुत्र भंवर सिंह
5. किरण कंवर पत्नि स्व. भंवर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

6. सुण्डाराम
7. राममोहन बृजेश
8. लिछमण
9. तेजाराम

} पुत्रगण मंगलाराम

10. जमना बेवा भूराराम
11. भंवरी
12. केशर
13. चन्दा

} पुत्रियां भूराराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

---अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 05.08.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 218 / 1326 / 2 / 1 किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टर तन ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ में जाने हेतु अप्रार्थी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 217 रकबा 0.04 हैक्टर के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे होकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

20 फुट चौड़ा और 70 फुट लम्बा रास्ता चाहता है। उक्त रास्ता पूर्व दिशा में आगे चलकर भूमि खसरा नम्बर 218 में जाकर भूमि खसरा नम्बर 218/1326/1 गैर मुमकिन रास्ता में मिल जाता है। उक्त रास्ता आगे चलकर पश्चिम में मुख्य सड़क मार्ग जीणमाता से खाचरियावास पर खुलता है। चाहे गये रास्ते का अंकन संलग्न नक्शे में लाल स्याही सें दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में सें बताए गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने सें सम्पूर्णतया वंचित हो जाएगा। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के संबंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे एवं यह इस्तदुआ प्रस्तुत करते है कि हमें हमारी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 218/1326/2/1 तन ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता जो भूमि खसरा नम्बर 217 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 218 तक 20 फुट चौड़ा और 70 फुट लम्बा रास्ता दिलवाने की कृपा करें।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 14 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार दांतारामगढ सें मौका रिपोर्ट एवं डीएलसी दर सहित रास्ते संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 215 गैरमुमकिन रास्ता वर्तमान मे आम सड़क सें खसरा नम्बर 217 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे होकर कटानी रास्ता 218/1326/1 सें मिलान करता है। प्रार्थी के खेत की निकटतम दूरी सें प्रास्तावित रास्ता गुजरता है इसके अलावा अन्य रास्ता नहीं है प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है प्रार्थी वर्तमान में खेत में जाने के लिए उपरोक्त रास्ता ही काम में ले रहा हैं। साथ ही रिपोर्ट में डीएलसी दर की गणना भी दर्शाई गई जिसमें ग्राम रूलाणा की चाही भूमि सड़क के पास की दर प्रति हैक्टेयर 455130 रूपये है अतः 14x70=91 वर्गमीटर भूमि के डीएलसी दर अनुसार 4186 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी दर 8372 रूपये बनती है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई तथा बहस पर मनन पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा प्रार्थी की भूमि में जाने हेतू आवेदित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। लेकिन उक्त भूमियों पर न्यायालय हाजा का स्थगन है। रास्ते की लम्बाई 70 फुट तथा चौड़ाई 20 फुट है। अतः कुल रास्ते 91 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर के अनुसार 4186 रूपये एवं दुगुनी 8372 रूपये बनती है। आवेदित भूमि खसरा नम्बर 217 में सें 91 वर्गमीटर अर्थात 0.0091 हैक्टर की कीमत 8372 रूपये खातेदारान को दिया जाना है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 251--ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को खसरा नम्बर 218/1326/2/1 में जाने हेतु खसरा नम्बर 217 कुल रकबा 0.04 हैक्टर में सें रकबा 0.0091 हैक्टर को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गैर मुमकिन रास्ता के रूप में कायम किये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नम्बर 217 में सें रकबा 0.0091 हैक्टर की कीमत गणना कर प्रार्थीगण सें प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात तथा स्थगन मुक्ति अथवा शिथिलता प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 218/1326/2/1 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 217 रकबा 0.04 हैक्टर में सें रकबा 0.0091 हैक्टर यानि 91 वर्गमीटर को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांताामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner